



110

समक्ष – न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी

(बोर्ड आफ रेवेन्यू), गवालियर (म0प्र0)

समिति 1456-PRM/07

अपील प्रकरण क्रमांक

RL.133
27.8.07

1. मध्यप्रदेश शासन
- द्वारा कलेक्टर जिला कटनी
2. उप पंजीयक, कटनी तह0 जिला कटनी

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्री मति रेखा शाह पति विन्दु शाह (अग्रवाल)
निवासी – 24 परगना गह शिवपुरी,
जिला वाराणसी उ0प्र0
2. श्री अरपित अग्रवाल पिता श्री राजकुमार अग्रवाल
निवासी – विनोवा वार्ड, खिरहनी कटनी
तहसील व जिला कटनी

.....उत्तरार्थीगण

अपील अंतर्गत धारा 47 (क),(5) स्टाम्प अधिनियम

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील न्यायालय अतिरिक्त कमिशनर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण कं – 448/बी-105/05-06 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2006 के परिवेदित होकर यह अपील धारा 47 (क)(5)स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत है।

म0प्र0 लिखतो का न्यून मूल्यांकन नियम 1975 के नियम 9 (1) की t kud kjh i b 'kzh 1 n P - 1) के रूप में सलंग्न है।

क्रमशः2.

08-9-16

प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 448/बी-105/04-05 में पारित आदेश दिनांक 4-10-2006 के विरुद्ध पेश की गई है।

2/ अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्क एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में दिए गए तर्कों पर विचार किया गया। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में लेख किया गया है कि अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश जिसके विरुद्ध यह अपील है, अपर आयुक्त के उसी आलोच्य आदेश के विरुद्ध उनके द्वारा इस न्यायालय में अपील क्रमांक 2092-दो/06 प्रस्तुत की गई थी जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष ने दिनांक 6-10-10 को उभयपक्षों को सुनने के उपरांत अपील का निराकरण करते हुए अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाकर अपील अग्राह्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>की गई है। प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील क्रमांक 2092-दो/06 पेश की गई थी जिसका निराकरण उभयपक्षों को सुनने के उपरांत तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिनांक 6-10-2010 को करते हुए अपर आयुक्त के आदेश को विधिसम्मत पाते हुए अपील को अग्राह्य किया गया है। चूंकि इस न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई कॉस अपील में अपर आयुक्त के आदेश को स्थिर रखते हुए निगरानी को अग्राह्य किया जा चुका है, और उस आदेश को कोई चुनौती किसी पक्षकार द्वारा दी गई है, यह नहीं बताया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अंतिम हो गया है और उक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए यह निगरानी भी निरस्त की जाती है।</p> <p>पक्षकार सूचित हों अभिलेख वापिस हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p style="text-align: left;">P.M.</p>	